RNA : Real News Analysis

DAILY CURRENT AFFAIRS

UPSC, STATE PCS, SSC, RAILWAY, BANKING, DEFENCE,
और अन्य सभी सरकारी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण

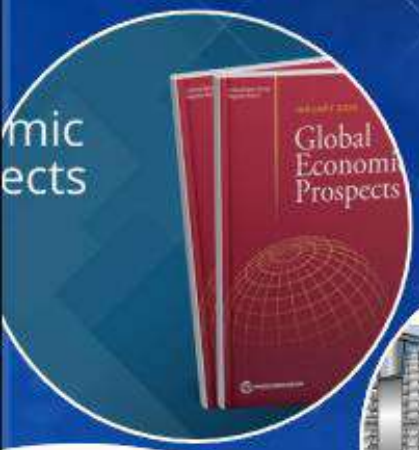

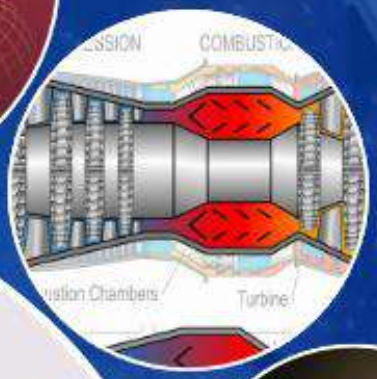

DATE
जनवरी
23
2025

Key Point

1. National News
2. International News
3. Govt. Mission, Apps
4. Awards & Honours
5. Sports News
6. Economic News
7. Newly Appointment
8. Defence News
9. Important Days
10. Technology News
11. Obituary News
12. Books & Authors

By Ankit Avasthi Sir

औपनिवेशिक शासन के दौरान ब्रिटेन ने भारत से 64.82 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर निकाले / UK extracted USD 64.82 trillion from India during colonial rule

संदर्भ:

हाल ही में, ऑक्सफैम इंटरनेशनल ने **"टेकर्स, नॉट मेकर्स"** शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें खुलासा हुआ कि ब्रिटेन ने औपनिवेशिक शासन के दौरान भारत से विशाल धन का दोहन किया। इसमें बताया गया है कि अरबपतियों की संपत्ति तेजी से बढ़ रही है, जबकि गरीबों को लगातार कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस असमानता के पीछे ऐतिहासिक उपनिवेशवाद की भूमिका को मुख्य कारण बताया गया है।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदु:

- **भारत से संपत्ति का निष्कासन:**
  - 1765 से 1900 के बीच भारत से लगभग **64.82 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर** ब्रिटेन ले जाए गए।
  - इस अवधि में औसत आय वितरण के अनुसार,
    - **17.4 ट्रिलियन डॉलर** ब्रिटेन के शीर्ष 1% अमीरों को मिले।
    - **33.8 ट्रिलियन डॉलर** शीर्ष 10% अमीरों को प्राप्त हुए।
- **उपनिवेशवाद के लाभार्थी:**
  - कुल निकासी गई संपत्ति का **52%** सबसे अमीर वर्ग के पास गया।
  - उभरते हुए मध्यम वर्ग को **32%** आय प्राप्त हुई।
- **औद्योगिक उत्पादन में गिरावट:**
  - 1750 में भारतीय उपमहाद्वीप वैश्विक औद्योगिक उत्पादन में **25%** योगदान देता था।
  - 1900 तक यह घटकर मात्र **2%** रह गया।
- **आधुनिक तुलना:**
  - रिपोर्ट में बताया गया कि ग्लोबल साउथ (विकासशील देशों) में मजदूरी ग्लोबल नॉर्थ (विकसित देशों) की तुलना में **87-95%** तक कम है, भले ही कार्य कौशल समान हो।

ऑक्सफैम के बारे में:

- **स्थापना:**
  - ऑक्सफैम की स्थापना 1995 में स्वतंत्र गैर-सरकारी संगठनों के एक समूह द्वारा की गई थी।
  - इसका नाम "ऑक्सफोर्ड कमेटी फॉर फेमिन रिलीफ" से लिया गया है, जो 1942 में ब्रिटेन में स्थापित हुआ था।
- **मुख्यालय:** ऑक्सफैम इंटरनेशनल सचिवालय नैरोबी, केन्या में स्थित है।
- **संरचना:** यह 21 स्वतंत्र चैरिटी संगठनों का एक महासंघ है, जो 90 से अधिक देशों में साझेदारों और स्थानीय समुदायों के साथ काम करता है।
- **उद्देश्य:** गरीबी और अन्याय के खिलाफ लड़ाई में ज्ञान और संसाधनों को साझा करना और अपने प्रयासों को एकजुट करना।

भारत में औपनिवेशिक शासन का सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव:

- **सामाजिक सुधार:**
  - ब्रिटिश राज ने **सती प्रथा** (विधवा का पति की चिता पर आत्मदाह) को अवैध और दंडनीय घोषित किया।
  - **बाल हत्या** (कन्या भ्रूण हत्या) पर प्रतिबंध लगाया, हालांकि आज भी यह समस्या गरीब इलाकों में मौजूद है।
  - **बाल विवाह** और अन्य सामाजिक बुराइयों को कानूनन अवैध घोषित किया गया।
- **पश्चिमी विचारधारा का प्रसार:**
  - स्वतंत्रता, समानता, और मानवाधिकारों जैसी अवधारणाएँ ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय समाज में आईं।
  - महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए विभिन्न **कानूनी उपाय** लागू किए गए।
- **शिक्षा और भाषा:**
  - अंग्रेजों ने भारतीय समाज में **अंग्रेजी भाषा** को बढ़ावा दिया, जिससे शिक्षा और प्रशासन में इसका प्रभाव बढ़ा।

भारत में औपनिवेशिक शासन का आर्थिक प्रभाव:

- **आर्थिक उपनिवेश:**
  - भारत को औद्योगिक इंग्लैंड की **आर्थिक कॉलोनी** बना दिया गया, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ा।
- **औद्योगीकरण का प्रभाव:**
  - इंग्लैंड के औद्योगीकरण से भारतीय **हथकरघा उद्योग** नष्ट हो गया और पारंपरिक कारीगर बेरोजगार हो गए।
- **कृषि संकट:**
  - नए **भू-राजस्व प्रयोगों** से किसानों की स्थिति खराब हो गई और वे कर्ज में डूब गए।
  - **कृषि का व्यापारीकरण** होने से भूमिहीन मजदूरों की संख्या बढ़ी और आर्थिक असमानता बढ़ी।
- **सूदखोरों का बढ़ता प्रभाव:**
  - धन उधार लेना कठिन हो गया और नए प्रकार के **सूदखोर** विकसित हुए, जिन्होंने किसानों और गरीबों का शोषण किया।

समान नागरिक संहिता / Uniform Civil Code

संदर्भ:

हाल ही में, उत्तराखंड सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने के लिए नियमों को मंजूरी दी है।

- इसके लागू होने के बाद, उत्तराखंड UCC को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा।

समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code - UCC):

- **परिभाषा:**
  - समान नागरिक संहिता का उद्देश्य एक ऐसी सामान्य नागरिक कानून प्रणाली बनाना है जो सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू हो।
  - वर्तमान में विभिन्न धार्मिक समुदाय विवाह, तलाक, और उत्तराधिकार जैसे मामलों में अपने व्यक्तिगत कानूनों का पालन करते हैं।
- **महत्व:**
  - UCC को एक **धर्मनिरपेक्ष और समानतापूर्ण समाज** की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है।
  - यह भारतीय संविधान में निहित आदर्शों के अनुरूप है।
- **संवैधानिक प्रावधान:**
  - भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 44** के तहत UCC को राज्य के नीति निर्देशक तत्त्वों (DPSP) में शामिल किया गया है।
  - अनुच्छेद 44 कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है, बल्कि यह राज्य की एक आकांक्षा को दर्शाता है कि सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक कानून लागू किया जाए।

समान नागरिक संहिता (UCC) की आवश्यकता:

- **लैंगिक समानता (Gender Equity):**
  - विवाह, तलाक आदि से जुड़े वर्तमान व्यक्तिगत कानून अक्सर **महिलाओं के प्रति भेदभावपूर्ण** होते हैं।
  - UCC महिलाओं को समान अधिकार देकर **लैंगिक न्याय** सुनिश्चित करेगा।
- **सामाजिक एकता (Social Cohesion):**
  - भारत की कानूनी प्रणाली में धार्मिक और जातीय विविधता के कारण **विभाजन और असमानता** उत्पन्न हो सकती है।
  - UCC एक **समान कानूनी ढांचा** बनाकर राष्ट्रीय एकता को मजबूत करेगा।
- **भारतीय समाज में सुधार (Reforming Indian Society):**
  - यह समाज में व्याप्त कई **अंधविश्वासों और रूढ़िवादी प्रथाओं** को समाप्त करने में सहायक होगा।

समान नागरिक संहिता पर सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले

1. शाह बानो केस (1985):

- तलाक के बाद मुस्लिम महिला को भरण-पोषण का अधिकार दिया गया।
- UCC की जरूरत पर जोर देते हुए लैंगिक समानता की वकालत की।

2. सरला मुद्गल केस (1995):

- धर्म परिवर्तन कर बहुविवाह करने पर रोक।
- व्यक्तिगत कानूनों के दुरुपयोग को रोकने के लिए UCC का महत्व बताया।

3. जॉन वल्लमट्टम केस (2003):

- भेदभावपूर्ण प्रावधानों को खारिज कर समान अधिकार सुनिश्चित करने पर जोर।

4. शायरा बानो केस (2017):

- तीन तलाक को असंवैधानिक घोषित कर महिलाओं के अधिकारों की रक्षा की।

समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने में प्रमुख चुनौतियाँ:

- **व्यक्तिगत अधिकार बनाम राज्य का हस्तक्षेप:**
  - **अनुच्छेद 25** धर्म की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, जिससे राज्य के हस्तक्षेप और व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाए रखना चुनौतीपूर्ण है।
  - **5वीं और 6वीं अनुसूची** आदिवासी रीति-रिवाजों और विश्वासों की सुरक्षा करती हैं, जिनके साथ समन्वय करना आवश्यक है।
- **धार्मिक समूहों और नेताओं का विरोध:**
  - कई धार्मिक समूहों को आशंका है कि UCC उनके **धार्मिक कानूनों और परंपराओं** में हस्तक्षेप करेगा।
  - इससे सामाजिक और राजनीतिक **तनाव** उत्पन्न हो सकते हैं।

सेबी ने एनपीओ और सोशल स्टॉक एक्सचेंज में बदलाव का प्रस्ताव / SEBI proposes changes in NPO and Social Stock Exchange

संदर्भ:

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने सोशल स्टॉक एक्सचेंज के लिए एक नया ढांचा प्रस्तावित किया है। इसमें **गैर-लाभकारी संगठनों (NPO)** की परिभाषा में बदलाव और सामाजिक उद्यम के रूप में पहचाने जाने वाली पात्र गतिविधियों का विस्तार शामिल है।

सामाजिक स्टॉक एक्सचेंज (SSE) के नियमों में प्रस्तावित संशोधन:

1. गैर-लाभकारी संगठनों (NPOs) की परिभाषा का विस्तार:

- **वर्तमान परिभाषा:**
  - भारतीय ट्रस्ट अधिनियम, 1882 के तहत पंजीकृत चैरिटेबल ट्रस्ट।
  - सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के तहत पंजीकृत चैरिटेबल सोसायटी।
  - कंपनियां, कंपनियों अधिनियम, 2013 की धारा 8 के तहत पंजीकृत।
- **विस्तारित परिभाषा:**
  - भारतीय पंजीकरण अधिनियम के तहत उप पंजीयक के साथ पंजीकृत ट्रस्ट।
  - राज्य के सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत चैरिटेबल सोसायटी।
  - कंपनियों अधिनियम, 1956 की धारा 25 के तहत पंजीकृत कंपनियां।

2. पात्र गतिविधियों की सूची का विस्तार:

- **शामिल गतिविधियां:**
  - वंचित बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों और विकलांगों का कल्याण।
  - व्यावसायिक कौशल का संवर्धन।
  - कला, संस्कृति और विरासत का प्रचार व शिक्षा।

3. लक्षित वर्ग का विस्तार:

- सामाजिक इकाइयों के साथ-साथ **सांस्कृतिक और पर्यावरणीय पारिस्थितिकी तंत्र इकाइयों** को भी शामिल किया जाएगा।

4. पंजीकरण नवीनीकरण की शर्तों में छूट:

- NPOs अब SSE के माध्यम से धन जुटाए बिना **दो वर्षों तक पंजीकरण कर सकेंगी।**
- वार्षिक रिपोर्टिंग और सामाजिक प्रभाव आकलन की लागत को ध्यान में रखते हुए यह छूट दी गई है।

5. व्यवसाय आय की शर्त:

- **प्रस्ताव:**
  - लाभकारी और गैर-लाभकारी सामाजिक उद्यमों के लिए व्यवसाय आय **राजस्व का 20% से अधिक** होनी चाहिए।
  - यह सुनिश्चित करने के लिए कि 67% गतिविधियां पात्र गतिविधियों के मानदंडों को पूरा करती हैं।

सामाजिक स्टॉक एक्सचेंज (Social Stock Exchange - SSE)

- **परिचय:**
  - SSE मौजूदा स्टॉक एक्सचेंज के भीतर एक **अलग खंड** के रूप में कार्य करेगा।
  - यह **सामाजिक उद्यमों** (Social Enterprises) को सार्वजनिक निवेशकों से धन जुटाने में मदद करेगा।
- **उद्देश्य:**
  - सामाजिक पहलों के लिए **वित्तीय सहायता** प्राप्त करना।
  - उद्यमों को **दृश्यता** और **पारदर्शिता** प्रदान करना, जिससे धन उगाही और उपयोग पर नजर रखी जा सके।
- **निवेश नियम:**
  - **खुदरा निवेशक (Retail Investors):** केवल **लाभकारी सामाजिक उद्यमों (FPSEs)** के तहत मुख्य बोर्ड में निवेश कर सकते हैं।
  - **संस्थागत और गैर-संस्थागत निवेशक:** वे सभी सामाजिक उद्यमों (SEs) द्वारा जारी प्रतिभूतियों में निवेश कर सकते हैं।

सामाजिक स्टॉक एक्सचेंज (SSE) के लिए पात्रता

- **सामाजिक उद्देश्य (Social Intent):**
  - कोई भी **गैर-लाभकारी संगठन (NPO)** या **लाभकारी सामाजिक उद्यम (FPSE)** जो **सामाजिक उद्देश्य** को प्राथमिकता देता है, उसे **सामाजिक उद्यम** के रूप में मान्यता दी जाएगी।
  - मान्यता प्राप्त संगठनों को SSE पर **पंजीकरण की पात्रता** मिलेगी।
- **कॉरपोरेट निर्भरता (Dependent on Corporates):**
  - वे NPOs जो अपनी **50% से अधिक फंडिंग कॉरपोरेट्स** से प्राप्त करते हैं, SSE पर पंजीकरण के लिए **अयोग्य** माने जाएंगे।

MUDRA Loans / मुद्रा ऋण

संदर्भ:

वित्तीय वर्ष 2024-25 की तीसरी तिमाही में, प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (PMMY) ने ₹3.39 लाख करोड़ के ऋण वितरण के साथ उच्च स्तर पर पहुँच गया, जो 2015 में योजना की शुरुआत के बाद से अब तक का सबसे उच्चतम तिमाही वितरण है।

मुद्रा लोन की वर्तमान स्थिति:

- **अब तक का सर्वोच्च वितरण:**
  - वित्त वर्ष **2024-25 की तीसरी तिमाही** (दिसंबर 2024 तक) में मुद्रा लोन वितरण **₹3.39 लाख करोड़** के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुँच गया।
- **सबसे बड़ा योगदानकर्ता:**
  - **भारतीय स्टेट बैंक (SBI)** प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) लोन के वितरण में **सबसे बड़ा हिस्सा** रखता है।
- **एनपीए में कमी:**
  - PMMY लोन का कुल **एनपीए 2019-20 में 4.9% से घटकर 2023-24 में 3.4%** हो गया, जिससे लोन की गुणवत्ता में सुधार हुआ है।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY)

परिचय:

- 2015 में शुरू की गई, यह भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य **सूक्ष्म और लघु उद्यमों** को किफायती ऋण उपलब्ध कराना है।
- इसका उद्देश्य **अविकसित उद्यमों** को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में शामिल करना और उन्हें ऋण सुलभ कराना है।

उद्देश्य:

- "फंड द अनफंडेड" यानी छोटे व्यवसायों को वित्तीय सहायता प्रदान करना।
- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (PSB), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRB), सहकारी बैंक, निजी बैंक, विदेशी बैंक, माइक्रोफाइनेंस संस्थान (MFI), और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराना।

ऋण विवरण:

- ऋण राशि: **₹10 लाख तक** का ऋण उन क्षेत्रों के लिए उपलब्ध है जो **कृषि-आधारित नहीं** हैं, जैसे निर्माण, व्यापार, सेवाएँ।
- पात्रता: कोई भी भारतीय नागरिक जिसके पास **व्यवसाय योजना** हो और जिसे ₹10 लाख तक का ऋण चाहिए, वह बैंक, MFI, या NBFC के माध्यम से आवेदन कर सकता है।

ऋण श्रेणियाँ:

1. **शिशु:** ₹50,000 तक (नए और सूक्ष्म उद्यमों के लिए)।
2. **किशोर:** ₹50,000 से ₹5 लाख तक (विकासशील व्यवसायों के लिए)।
3. **तरुण:** ₹5 लाख से ₹10 लाख तक (विस्तार करने वाले व्यवसायों के लिए)।

सब्सिडी:

- PMMY के तहत **कोई प्रत्यक्ष सब्सिडी नहीं** है।
- यदि कोई ऋण किसी सरकारी योजना से जुड़ा है जो **पूंजी सब्सिडी** प्रदान करता है, तो PMMY के अंतर्गत इसका लाभ लिया जा सकता है।

मुद्रा 1.0 का प्रभाव:

- **ऋण वितरण:** ₹27.75 लाख करोड़ से अधिक राशि 47 करोड़ छोटे उद्यमियों को वितरित की गई, जिससे औपचारिक वित्त तक पहुँच बढ़ी।
- **समावेशिता:** 69% ऋण खाते **महिलाओं** द्वारा और 51% **SC/ST/OBC** उद्यमियों द्वारा रखे गए हैं।
- **रोजगार सृजन:** ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में स्वरोजगार को बढ़ावा मिला और छोटे व्यवसायों का विकास हुआ।

मुद्रा 2.0 की दृष्टि:

1. **विस्तारित दायरा:**
   - ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में पहुँच बढ़ाना।
   - वित्तीय साक्षरता, परामर्श, और व्यावसायिक सहायता प्रदान करना।
2. **वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम:**
   - बजट, बचत, ऋण प्रबंधन, निवेश रणनीतियों, और डिजिटल साक्षरता को कवर करने वाले कार्यक्रम लागू करना।
3. **विस्तृत क्रेडिट गारंटी योजना (ECGS):**
   - छोटे उद्यमों को अधिक ऋण देने के लिए बैंकों को जोखिम कम करने में सहायता करना।
4. **मजबूत निगरानी और मूल्यांकन ढाँचा (RMEF):**
   - प्रौद्योगिकी का उपयोग कर **वास्तविक समय में ऋण वितरण, उपयोग और पुनर्भुगतान** की निगरानी।
   - पारदर्शिता बढ़ाना और दुरुपयोग को रोकना।

अमेरिका में जन्मसिद्ध नागरिकता / Birthright citizenship in the US

संदर्भ:

डोनाल्ड ट्रम्प ने अपने पहले ही दिन कार्यालय में एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया, जिसमें उन्होंने उन बच्चों को जन्मजात नागरिकता देने से इनकार कर दिया, जिनके माता-पिता अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे हैं या अस्थायी वीजा पर हैं। इस आदेश को लागू करने के लिए 30 दिन का समय दिया गया है।

संयुक्त राज्य अमेरिका में जन्म अधिकार नागरिकता (Birthright Citizenship)

परिभाषा:

- जन्म अधिकार नागरिकता स्वचालित रूप से जन्म के समय नागरिकता प्रदान करती है।

प्रकार:

1. **जस सॉली (Jus Soli):**
   - यह नागरिकता **जन्मस्थल** के आधार पर मिलती है। अर्थात, अगर कोई बच्चा अमेरिका में जन्मा है, तो उसे स्वचालित रूप से अमेरिकी नागरिकता मिलती है।
2. **जस सैंग्विनिस (Jus Sanguinis):**
   - यह नागरिकता **वंश परंपरा** के आधार पर मिलती है। यदि किसी अमेरिकी नागरिक का बच्चा विदेश में जन्मा है, तो वह अमेरिकी नागरिक माना जाता है।

इतिहास:

- 14वां संशोधन **1866 में कांग्रेस** द्वारा पारित किया गया था और **1868 में 3/4 राज्यों** से मंजूरी मिलने के बाद इसे लागू किया गया।
- यह संशोधन मुख्य रूप से **पूर्व दासों** और उनके **वंशजों** को नागरिकता अधिकार देने के लिए था।

व्याख्या:

- इस संशोधन के तहत, अमेरिका में जन्मे बच्चों को, यहां तक कि **गैर-नागरिकों** और **अवैध प्रवासियों** के बच्चों को भी अमेरिकी नागरिकता का अधिकार प्राप्त है।

अपवाद:

- इस अधिकार के दो प्रमुख अपवाद हैं:
  1. **शत्रु विदेशी नागरिकों** के बच्चे।
  2. **राजनयिकों** के बच्चे जो अमेरिका में नियुक्त हैं।

जन्म अधिकार नागरिकता से बाहर की श्रेणियाँ:

1. **अवैध उपस्थिति (Unlawful Presence):**
   - जब **माँ** जन्म के समय अमेरिका में **अवैध रूप से** उपस्थित थी।
   - और **पिता** न तो अमेरिकी नागरिक था और न ही **कानूनी स्थायी निवासी** था।
2. **कानूनी लेकिन अस्थायी उपस्थिति (Lawful but Temporary Presence):**
   - जब **माँ** अमेरिका में **कानूनी रूप से अस्थायी** रूप से उपस्थित थी (जैसे वीजा या वीजा वेवर प्रोग्राम के तहत)।
   - और **पिता** न तो अमेरिकी नागरिक था और न ही **कानूनी स्थायी निवासी** था।

चुनौती (Challenge):

1. **संविधान संशोधन की आवश्यकता (Requirement for a Constitutional Amendment):**
   - जन्म अधिकार नागरिकता को समाप्त करने के लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता होगी। इस प्रक्रिया के लिए:
     - प्रतिनिधि सभा और सीनेट दोनों में **दो-तिहाई बहुमत** की आवश्यकता होगी।
     - **तीन-चौथाई** अमेरिकी राज्यों से स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।
2. **गणराज्यवादी बहुमत (Republican Majority):**
   - ट्रंप की **गणराज्यवादी पार्टी** प्रतिनिधि सभा और सीनेट दोनों में बहुमत रखती है, जो विधायी प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती है।

भारतीय समुदाय पर प्रभाव:

1. **H-1B वीजा धारक और ग्रीन कार्ड बैकलॉग**
   - H-1B वीजा पर काम कर रहे भारतीय पेशेवरों और ग्रीन कार्ड आवेदकों के लिए उनके अमेरिकी जन्मे बच्चों को स्वचालित नागरिकता नहीं मिलेगी, जिससे असमंजस बढ़ेगा।
2. **अमेरिका में भारतीय छात्र**
   - अमेरिका में पढ़ाई कर रहे भारतीय छात्रों के लिए उनके बच्चों को नागरिकता प्राप्त करने में कठिनाई हो सकती है।
3. **अमेरिका जाने से हिचकिचाहट**
   - भारतीय पेशेवर, छात्र और परिवार अब अमेरिका की बजाय कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे इमिग्रेशन फ्रेंडली देशों की ओर रुख कर सकते हैं।
4. **आर्थिक प्रभाव**
   - भारतीय समुदाय का अमेरिका के तकनीकी, स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान है। जन्मजात नागरिकता समाप्त होने से इन क्षेत्रों में योगदान में कमी आ सकती है।

स्क्रैमजेट इंजन / Scramjet Engine

संदर्भ:

हाल ही में, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) ने पहली बार 120 सेकंड के लिए अत्याधुनिक सक्रिय कूल्ड स्क्रैमजेट कंबस्टर का ग्राउंड परीक्षण सफलतापूर्वक किया है।

स्क्रैमजेट इंजन के बारे में:

1. **रामजेट का उन्नत संस्करण:**
   - स्क्रैमजेट इंजन, रामजेट का एक उन्नत संस्करण है, जो सुपर-सोनिक वायु प्रवाह और दहन के माध्यम से थ्रस्ट उत्पन्न करता है।
2. **हाइपरसोनिक गति:**
   - यह इंजन हाइपरसोनिक गति पर काम करता है, जो Mach 5 (5,400 km/hr) से अधिक गति होती है।
3. **हाइपरसोनिक मिसाइलें:**
   - हाइपरसोनिक मिसाइलें वे अत्याधुनिक हथियार होते हैं, जो Mach 5 से अधिक गति से चलते हैं और **एयर डिफेंस सिस्टम** को बाईपास करने की क्षमता रखते हैं।
4. **दुनिया भर में विकास:**
   - USA, रूस, भारत और चीन जैसे कई देश सक्रिय रूप से हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी पर काम कर रहे हैं।
5. **सक्रिय दहन:**
   - Scramjets **एयर ब्रीदिंग इंजन** होते हैं, जो बिना किसी मूविंग पार्ट्स के **सुपर-सोनिक गति** पर दहन को बनाए रखने की क्षमता रखते हैं।
6. **विकासकर्ता:**
   - **डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी (DRDL)**, जो कि **DRDO** का हिस्सा है, हैदराबाद में स्थित एक प्रयोगशाला है और इसने हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी के लिए Supersonic Combustion Ramjet (Scramjet) को विकसित करने की पहल की है।

कैसे काम करता है स्क्रैमजेट इंजन:

1. **वातावरणीय ऑक्सीजन का संपीडन:**
   - स्क्रैमजेट इंजन वाहन की **आगे की गति** का उपयोग करता है, जिससे वातावरण से ऑक्सीजन संपीडित होती है, और इससे **ऑक्सीडाइज़र** ले जाने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है।
2. **ईंधन और वायु का मिश्रण:**
   - संपीडित हवा के साथ ईंधन मिश्रित होता है, और **दहन कक्ष** में यह जलता है, जिससे उच्च गति पर **थ्रस्ट** उत्पन्न होता है।
3. **फ्लेम स्थिरीकरण:** अत्यधिक परिस्थितियों में भी **इग्निशन** सुनिश्चित करने के लिए **नवीनतम फ्लेम स्थिरीकरण तकनीकों** का उपयोग किया जाता है।

मुख्य विशेषताएँ:

1. **एयर-ब्रीदिंग इंजन:**
   - स्क्रैमजेट इंजन वातावरणीय ऑक्सीजन का उपयोग करता है, जिससे **प्रोपेलेंट का वजन** कम होता है।
2. **एडवांस थर्मल बैरियर कोटिंग (TBC):**
   - उच्च तापमान प्रतिरोध प्रदान करता है, जिससे इंजन की प्रदर्शन क्षमता बढ़ती है।
3. **एंडोथर्मिक Scramjet ईंधन:**
   - स्वदेशी रूप से विकसित किया गया, यह **कूलिंग** और **इग्निशन दक्षता** को सुधारता है।
4. **कोई मूविंग पार्ट्स नहीं:**
   - इससे **यांत्रिक जटिलताएँ** कम होती हैं, और इंजन की विश्वसनीयता में वृद्धि होती है।

स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी का महत्व:

1. **हाइपरसोनिक मिसाइल्स:**
   - Scramjet टेक्नोलॉजी हाइपरसोनिक मिसाइल्स के विकास को सक्षम बनाती है, जो एयर डिफेंस सिस्टम को बाइपास कर सकती हैं और तीव्र, उच्च-प्रभाव वाले हमले कर सकती हैं।
2. **रीयूजेबल लॉन्च वाहन:**
   - यह एयर-ब्रीथिंग प्रोपल्शन सिस्टम का उपयोग करके सैटेलाइट लॉन्च की लागत को घटाता है।
3. **रणनीतिक बढ़त:**
   - यह भारत को उन चुनिंदा देशों (अमेरिका, रूस, चीन) में शामिल करता है, जिनके पास हाइपरसोनिक क्षमता है।
4. **लॉन्च लागत में कमी:**
   - प्रोपेलेंट के वजन को कम करके सस्ती और पुन: उपयोग योग्य सैटेलाइट लॉन्च प्रणाली की संभावना को बढ़ाता है।
5. **प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण सफलता:**
   - कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स (CFD) और सामग्री विज्ञान में उन्नति, जो एयरोस्पेस इनोवेशन में योगदान करती है।

वैश्विक आर्थिक संभावनाएँ (जीईपी) रिपोर्ट 2025 / Global Economic Prospects (GEP) Report 2025

संदर्भ:

जनवरी 2025 में जारी वर्ल्ड बैंक की ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स (GEP) रिपोर्ट के अनुसार, भारत की अर्थव्यवस्था वित्तीय वर्ष 2026 और 2027 में 6.7% की दर से बढ़ने का अनुमान है।

मुख्य बिंदु:

1. **वैश्विक अर्थव्यवस्था:**
   - 2025 और 2026 में वैश्विक अर्थव्यवस्था 2.7% की दर से बढ़ने का अनुमान है, जो 2024 के समान है।
2. **उभरती अर्थव्यवस्थाएं (EMDEs):**
   - 2000 के बाद से, उभरती अर्थव्यवस्थाओं का वैश्विक GDP में योगदान 25% से बढ़कर 45% हो गया है।
   - भारत, चीन और ब्राज़ील ने 21वीं सदी की शुरुआत से वार्षिक वैश्विक वृद्धि में लगभग 60% का योगदान दिया है।
   - भारत, FY26 और FY27 में 6.7% की दर से बढ़ते हुए सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा।
3. **व्यापार प्रतिबंध:**
   - 2024 में नए वैश्विक व्यापार प्रतिबंध 2010-19 की औसत दर से पांच गुना अधिक थे।
   - इसके कारण आर्थिक वृद्धि दर 2000 के दशक के 5.9% से घटकर 2020 के दशक में 3.5% रह गई।
4. **चुनौतियाँ और सिफारिशें:**
   - बढ़ते व्यापार तनाव से वैश्विक विकास में गिरावट आ सकती है।
   - लगातार महंगाई के कारण ब्याज दरों में कटौती में देरी हो सकती है।
   - सही नीतियों के माध्यम से इन अर्थव्यवस्थाओं को अवसरों में बदला जा सकता है।
   - सभी देशों को बहुपक्षीय संस्थानों के सहयोग से वैश्विक व्यापार शासन को मजबूत करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए।

विश्व बैंक के बारे में जानकारी:

1. **परिचय:**
   - विश्व बैंक एक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है, जो विकासशील देशों की सरकारों को पूंजीगत परियोजनाओं के लिए ऋण और अनुदान प्रदान करता है।
   - इसकी स्थापना 1944 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के साथ की गई थी।
2. **संरचना:**
   - विश्व बैंक मुख्य रूप से दो संस्थानों से मिलकर बना है:
     1. **अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (IBRD)**
     2. **अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ (IDA)**
3. **मिशन और उद्देश्य:**
   - गरीबी कम करना और सतत विकास को बढ़ावा देना।
   - शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, बुनियादी ढांचे और पर्यावरणीय स्थिरता जैसे क्षेत्रों में कार्य करना।

विश्व बैंक की प्रमुख रिपोर्टें:

1. **ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स (Global Economic Prospects)**
2. **ग्लोबल फाइनेंशियल डेवलपमेंट रिपोर्ट (Global Financial Development Report)**
3. **पावर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी (Poverty and Shared Prosperity)**
4. **वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट (World Development Reports)**
5. **रेमिटेंस रिपोर्ट (Remittance Report)**
6. **यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इंडेक्स (Universal Health Coverage Index)**

डायमंड इम्प्रेस्ट ऑथराइजेशन योजना / Diamond Imprest Authorisation Scheme

संदर्भ:

वाणिज्य मंत्रालय ने हाल ही में डायमंड इम्प्रेस्ट ऑथराइजेशन (DIA) योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य भारत के हीरा उद्योग की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना है।

डायमंड इम्प्रेस्ट ऑथराइजेशन (DIA) योजना:

परिचय:

- इसे **विदेश व्यापार नीति 2023** के तहत पेश किया गया है।
- इसका उद्देश्य प्राकृतिक कटे और पॉलिश किए गए हीरों के शुल्क-मुक्त आयात के लिए एक सुव्यवस्थित तंत्र प्रदान करना है।

मुख्य विशेषताएँ:

1. **ड्यूटी-फ्री आयात:** इस योजना के तहत 1/4 कैरेट (25 सेंट) से कम के प्राकृतिक कटे और पॉलिश किए गए हीरों का शुल्क मुक्त आयात करने की अनुमति है।
2. **निर्यात दायित्व:** निर्यात पर 10% मूल्य संवर्धन (Value Addition) का पालन अनिवार्य है।
3. **पात्रता:** वे हीरा निर्यातक पात्र हैं, जिनके पास **टू स्टार एक्सपोर्ट हाउस** का दर्जा हो और प्रति वर्ष **यूएस $15 मिलियन** का निर्यात हो।
4. **अपवाद:** यह योजना **लैब में निर्मित हीरों (Lab-Grown Diamonds - LGDs)** पर लागू नहीं होती है।
5. **मुक्त किए गए कर:** बेसिक कस्टम ड्यूटी, एडिशनल कस्टम ड्यूटी, एजुकेशन सेस, एंटी-डंपिंग ड्यूटी, काउंटरवेलिंग ड्यूटी और अन्य करों से छूट।

भारतीय हीरा उद्योग पर प्रभाव:

1. **निर्यात में सुधार और रोजगार के अवसर:**
   - हीरा उद्योग को निर्यात में गिरावट और नौकरी के नुकसान जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है।
   - DIA योजना स्थानीय प्रसंस्करण को बढ़ावा देकर इन समस्याओं को दूर करने और रोजगार के अवसर बढ़ाने में मदद करेगी।
   - यह योजना हीरा क्षेत्र को पुनर्जीवित करने के लिए बनाई गई है, जिसमें छोटे और मध्यम उद्यमों (SMEs) के साथ बड़े निर्यातकों का समर्थन शामिल है।

हीरा उद्योग की चुनौतियाँ:

1. वैश्विक चुनौतियाँ:

- **मांग में गिरावट:** अमेरिका, चीन और यूरोप में पॉलिश्ड डायमंड्स की मांग में भारी कमी।
- **उपभोक्ता प्राथमिकताओं में बदलाव:** लैब-ग्रो डायमंड्स की ओर रुझान बढ़ना।

2. आंतरिक चुनौतियाँ:

- **अधिक स्टॉक:** पॉलिश्ड डायमंड्स के बड़े अविक्रीत भंडार।
- **बढ़ती परिचालन लागत:** उत्पादन लागत में निरंतर वृद्धि।
- **लाभ में कमी:** वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा के कारण मार्जिन में गिरावट।
- **उच्च कॉर्पोरेट कर:** भारत में उच्च कर प्रणाली उद्योग के लिए चुनौती।
- **घटता बैंक ऋण:** बैंकों द्वारा वित्त पोषण में कमी।

MSME के लिए रणनीतिक महत्व:

1. **MSME के लिए समान अवसर:**
   - यह योजना हीरा क्षेत्र में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) को लाभ पहुंचाने के लिए विशेष रूप से उपयोगी है।
   - यह छोटे खिलाड़ियों को बड़े फर्मों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए समान अवसर प्रदान करती है।
2. **स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा:**
   - योजना घरेलू हीरा प्रसंस्करण उद्योग को मजबूत करने और स्थानीय आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने में मदद करेगी।

एंटीवेनम / Antivenoms

संदर्भ:

भारत में हर साल 58,000 से अधिक सर्पदंश (Snakebite) से संबंधित मौतों के साथ, भारत को दुनिया का 'स्नेकबाइट कैपिटल' माना जाता है। इन चिंताजनक आंकड़ों के बीच, सर्पदंश (Snakebite) से बचाव और उपचार के लिए एंटीवेनम की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है।

सांप के काटने से विषाक्तता (Snakebite Envenoming):

सांप के काटने से विषाक्तता एक गंभीर और संभावित रूप से जानलेवा समस्या है, जिसमें विषैले सांप के काटने से होने वाली जटिल चिकित्सीय समस्याएँ समय पर उचित उपचार न मिलने पर मृत्यु या स्थायी अपंगता का कारण बन सकती हैं।

एंटीवेनम क्या है?

- एंटीवेनम (Antivenom) या एंटीवेनिन (Antivenin) सांप के काटने के उपचार के लिए जीवन रक्षक दवाएँ हैं।
- यह विष के विशिष्ट टॉक्सिन्स को बांधकर उन्हें निष्क्रिय करता है, जिससे शरीर की प्राकृतिक प्रतिरक्षा प्रणाली उन्हें सुरक्षित रूप से समाप्त कर सके।

सांप का विष कितना घातक होता है?

सांप का विष अत्यधिक घातक होता है और इसमें कई प्रकार के विषैले प्रोटीन होते हैं:

- **हीमोटॉक्सिन्स (Haemotoxins):** रक्त कोशिकाओं को नष्ट करता है और थक्का जमने की प्रक्रिया को बाधित करता है।
- **न्यूरोटॉक्सिन्स (Neurotoxins):** तंत्रिका संकेतों को अवरुद्ध करके लकवा उत्पन्न करता है।
- **साइटोटॉक्सिन्स (Cytotoxins):** काटे गए स्थान के ऊतकों को घोलता है।

एंटीवेनम का उत्पादन:

- अल्बर्ट कैलमेटे ने 1890 के दशक में पहली बार घोड़ों का उपयोग करके एंटीवेनम विकसित किया था।
- उत्पादन प्रक्रिया:
  1. विषैले सांपों से विशेषज्ञों द्वारा विष निकाला जाता है।
  2. विष को नियंत्रित मात्रा में घोड़ों को इंजेक्ट किया जाता है, जिससे उनकी प्रतिरक्षा प्रणाली एंटीबॉडी विकसित करती है।
  3. घोड़ों के रक्त से एंटीबॉडी निकालकर इसे शुद्ध किया जाता है।
- **पॉलीवैलेंट एंटीवेनम (PVA):** भारत में उपयोग किए जाने वाले PVA कई सांप प्रजातियों के खिलाफ प्रभावी होते हैं, लेकिन कुछ दुर्लभ प्रजातियों के लिए इनकी प्रभावशीलता सीमित होती है।

भारत में एंटीवेनम से संबंधित चुनौतियाँ:

1. **स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच:** समय पर उपचार प्राप्त करना एक बड़ी चुनौती बनी हुई है।
2. **प्रशासनिक समस्याएँ:** दवा के अनुचित उपयोग, अपर्याप्त सुविधाएँ और सांस्कृतिक मान्यताओं के कारण उपचार में देरी होती है।
3. **संरचनात्मक कमी:** एंटीवेनम को ठंडे तापमान में रखने की आवश्यकता होती है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यक बुनियादी ढाँचे और बिजली की आपूर्ति की कमी है।
4. **उच्च लागत:** उत्पादन की उच्च लागत के कारण आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए यह दवा कम सुलभ होती है।

भारत में एंटीवेनम उत्पादन और इरुला जनजाति की भूमिका:

1. इरुला जनजाति की विशेषज्ञता:

- तमिलनाडु की इरुला जनजाति सांपों का विष निकालने में विशेषज्ञ मानी जाती है।
- ये पारंपरिक तरीकों से सांप पकड़कर सुरक्षित रूप से उनका विष निकालते हैं।
- एकत्रित विष को फार्मा कंपनियों को बेचा जाता है, जिससे एंटीवेनम तैयार किया जाता है।

2. भारत में प्रमुख एंटीवेनम निर्माता:

- भारत में कई कंपनियां एंटीवेनम उत्पादन में शामिल हैं, जिनमें प्रमुख हैं:
  - **भारत सीरम्स एंड वैक्सीन**
  - **हाफकिन बायोफार्मास्युटिकल कॉर्पोरेशन**
  - **ViNS बायोप्रोडक्ट्स**
- ये कंपनियां विष को शुद्ध कर, उसे एंटीवेनम दवाओं में परिवर्तित करती हैं।

भारत के 'बिग फोर' विषैले सांप:

1. **भारतीय कोबरा (Naja naja)**
2. **कॉमन क्रेट (Bungarus caeruleus)**
3. **रसेल वाइपर (Daboia russelii)**
4. **सॉ-स्केल्ड वाइपर (Echis spp.)**

"GET READY FOR A WILD RIDE OF KNOWLEDGE !"

SUBSCRIBE OUR NEW YOUTUBE CHANNEL

ANKIT AVASTHI

Video will be upload soon !

RRB NTPC
TEST SERIES
100+ Mock Test
78 Sectional Test
40+ years PYPs
60+ Current affairs
TEST
Only
99
Per
Year
Buy Now

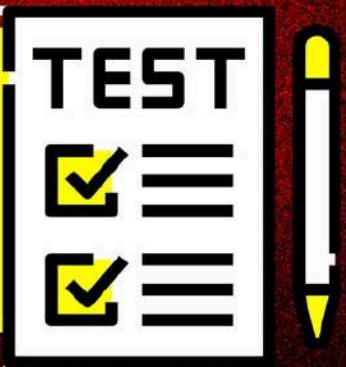

GA FOUNDATION

Hand Written Notes

Apni Pathshala
एक कदम उज्ज्वल भविष्य की ओर

Ankit Inspires India

₹ Only 1999

4 पुस्तकों का सम्पूर्ण सेट

अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें....

7878158882

APNI PATHSHALA

UPPSC,RO/ARO,BPSC,UP TEST SERIES

UPPSC
(TEST SERIES)
- 35+ MOCK TESTS
- 40+ PYQ'S
- 180+ TOPIC WISE TEST
- 60+ CURRENT AFFAIRS

ONLY 299/- YEAR

RO/ARO
(TEST SERIES)
- 50+ MOCK TESTS
- 30+ PYQ'S
- 10+ TOPIC WISE TEST
- 65+ CURRENT AFFAIRS

ONLY 299/- YEAR

BPSC
(TEST SERIES)
- 50+ MOCK TESTS
- 30+ PYQ'S
- 10+ TOPIC WISE TEST
- 65+ CURRENT AFFAIRS

ONLY 299 YEAR

SSC (TEST SERIES)
- 30 MOCK TESTS
- 28+ YEAR PYP
- 12 SECTIONAL TEST
- 60+ CURRENT AFFAIRS

ONLY 99/- YEAR

RPF (TEST SERIES)
- 40 MOCK TESTS
- 2 YEAR PYQ'S
- 4 SECTIONAL TEST
- 10 PRACTICE TEST
- 60 CURRENT AFFAIRS

ONLY 99/- YEAR

Download | Application

Apni Pathshala

7878158882

Apni.Pathshala Avasthiankit

AnkitAvasthiSir kaankit

ANKIT AVASTHI SIR

NCERT COMPLETE

FOUNDATION BATCH

FOR ALL

- POLITY
- ECONOMICS
- HISTORY
- GEOGRAPHY

- DAILY LIVE CLASSES
- , WEEKLY TEST
- CLASSES PDF (HINDI+ENGLISH)
- LIVE DOUBT SESSIONS
- DAILY PRACTISE PROBLEM

Rs 4999/-

Apni Pathshala 7878158882 Apni.Pathshala kaankit AnkitAvasthiSir Avasthiankit

ONLY
POLITY
1499
RS
DAILY LIVE CLASSES
, WEEKLY TEST
CLASSES PDF (HINDI+ENGLISH)
LIVE DOUBT SESSIONS
DAILY PRACTISE PROBLEM
Apni Pathshala
7878158882
Apni.Pathshala
kaankit
AnkitAvasthiSir
Avasthiankit

SSC TEST SERIES

CGL, CHSL, MTS, CET, CPO, GD,

Stenographer (Grades C & D)

Only at

99/-Year

Enroll Now !